

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक : 7 मार्च, 2018

संख्या : 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0- 3187 /लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक-09.04.2018 से 04.05.2018 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती है:-

क्रम सं.	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ -02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3
1.	डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2008), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
2.	श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
3.	श्री कौशल किशोर, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, जमुई।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत किया जायेगा।
4.	श्री कवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
5.	श्री चन्द्र शेखर सिंह, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, दरभंगा।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत किया जायेगा।
6.	श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, वैशाली।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत किया जायेगा।
7.	श्री अनिमेश कुमार पराशर, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, रोहतास।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8.	श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, शिवहर।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, शिवहर द्वारा निर्गत किया जायेगा।
9.	डॉ० (श्रीमती) करुणा कुमारी, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



7.3.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक : 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-3187/पटना-15, दिनांक : 7 मार्च, 2018

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /सभी संबंधित पदाधिकारिगण/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ जमुई/ दरभंगा/वैशाली/ रोहतास/शिवहर/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1,6,12 एवं 14) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


7.3.18
सरकार के अवर सचिव